राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.

जी0सी0एम0एस0–2025/58
राजस्व वाद संख्या–23/2025
दायर दिनांक–21.05.2025
निर्णय दिनांक–18.03.2026

उम्मेद सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम पनेर तह0 रूपनगढ़

.....प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, रूपनगढ़ जिला अजमेर।

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:निर्णय:–

उपस्थिति– श्री अरविन्द दाधीच वकील प्रार्थी

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की एकल कब्जे, खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम पनेर के खसरा नम्बर 918/53 रकबा 0.8332 हैक्टयर भूमि स्थित है। प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित एकल खातेदारी की कृषि भूमि पर मौके पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थी व पडोसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव मेड़ को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न ना हो इसलिये प्रार्थी की उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना है कि प्रार्थी की एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की उक्त भूमि के चारो तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रार्थी के पक्ष में प्रदान करवाने की कृपा करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में विवाद होता रहता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पनेर के खसरा नम्बर 918/53 रकबा 0.8332 हैक्टेयर भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में मौके पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)